The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3 — उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 115]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 14, 2001/फाल्गुन 23, 1922

No. 115]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 14, 2001/PHALGUNA 23, 1922

भारतीय रिजर्व बैंक

(विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 16 फरवरी, 2001

सा.का.नि. 182(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 3 मई, 2000 की उसकी अधिमूचना सं. फेमा 20/2000 आर बी के आंशिक संशोधन में भारतीय रिज़र्व बैंक, समय-समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अधवा निर्णमन) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा :—

- 1. (i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारते के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गमन) (संशोधन) विनियमावली, 2001 कहा जायेगा।
 - (ii) ये तत्काल लागु होंगे।
- 2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गमन) विनियमावली, 2000 के विनियम 5 में:---
 - (i) उप-विनियम (2) के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोडा जाये, यथा:-
- ''बशर्त विदेशी संस्थागत निवेशक को भारतीय कंपनी के शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर खरोदना नहीं चाहिए जो प्रिंट मिडिया क्षेत्र में लगे हुए हैं ''
 - (ii) उप-विनियम (3) के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाये, यथा :-
- ''बशर्ते कोई अनिवासी भारतीय अथवा विदेशी कंपनी निकाय को भारतीय कम्पनी के शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर खरीदना नहीं चाहिए जो प्रिंट मिडिया क्षेत्र में लगे हुए हैं ''

803 GI/2001 (1)

(iii) उप-विनियम (5) के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोडा जाये, यथा :--

''बशर्ते विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक को भारतीय कंपनी के शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर खरीदना नहीं चाहिए जो प्रिंट मिडिया क्षेत्र में लगे हुए हैं ''

[अधिसूचना सं. फेमा 35/2001-आर.बी.]

जे. कपूर, उप गवर्नर

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Control Department)

(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 16th February, 2001

- G.S.R. 182(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of its Notification No. FEMA20/2000-RB dated 3rd May, 2000 the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, as amended from time to time, namely:-
- 1. (1) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Amendment) Regulations, 2001.
 - (2) They shall come into force with immediate effect
- 2. In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, in Regulation 5,
 - (i) after sub-regulation (2), the following proviso shall be added, namely:—
- "Provided that the FII shall not purchase shares or convertible debentures of an Indian company which is engaged in the print media sector".
 - (ii) after sub-regulation (3), the following proviso shall be added, namely:—
- "Provided that the NRI/OCB shall not purchase shares or convertible debentures of an Indian company which is engaged in the punt media sector".
 - (iii) after sub-regulation (5), the following proviso shall be added, namely:—
- "Provided that the Foreign Venture Capital Investor shall not purchase shares or convertible debentures of an Indian company which is engaged in the print media sector."

[Notification No. FEMA.35/2001/-RB]

J CAPOOR, Dy. Governor